संख्या-3/2016/4556/37-1-2015-5(64)/2013

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2016

विषयः- निर्यातोन्मुखी इण्ट्रीग्रेटेड पशुवधशालाओं/मांस प्रसंस्करण इकाईयों में राजकीय पशुचिकित्साविदों की ड्यूटी लगाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1480, दिनांक 08-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत पूर्व में निर्गत आदेश संख्या-3299/37-1-2012-5(48)/2012, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 एवं आदेश संख्या-2185/37-1-2014-5(64)/2013, दिनांक 25 जून, 2014 में निर्धारित व्यवस्थाओं में विरोधाभास तथा इस सम्बन्ध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्गत समस्त आदेशो को अवक्रमित करते हुए निर्यातोन्मुखी इन्टीग्रेटेड वधशालाओं/ मांस प्रसंस्करण इकाईयों पर पशु चिकित्साविदों की ड्यूटी लगाये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत नीति निर्धारित की जाती हैः-

1. प्रत्येक निर्यातोन्मुखी इण्टीग्रेटेड पशुवधशालाओं पर एक राजकीय पशुचिकित्साविद की ड्यूटी लगायी जायेगी, जिसके द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम संस्था द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुरूप सुसंगत प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. वधशाला विहीन मांस प्रसंस्करण इकाइयों पर भी एक राजकीय पशु चिकित्साविद की ड्यूटी, प्रस्तर-1 में इंगित कार्यों हेतु, लगायी जायेगी।
3. निर्यातोन्मुखी इण्ट्रीग्रेटेड पशुवधशालाओं/मांस प्रसंस्करण इकाईयों में उन्हीं पशु चिकित्साविदों की ड्यूटी लगायी जायेगी, जिनके टेरिटोरियल जूरिडिक्शन में पशु वधशाला/इकाई स्थित है।
4. किसी पशु चिकित्सालय के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कई इकाईयां होने पर सर्व प्रथम इकाइयों से 15 किमी तक की सीमा (रेडियल सीमा) में स्थित सबसे नजदीकी पशु चिकित्सालयों पर तैनात पशु चिकित्साविदों में से ड्यूटी लगायी जाएगी। यदि 15 किमी तक की सीमा (रेडियल सीमा) में स्थित पशु चिकित्सालयों पर तैनात पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाये जाने के बाद भी किसी इकाई में पशु चिकित्साविद की ड्यूटी लगाया जाना अवशेष रह जाता है तो 20 किमी0 तक की सीमा (रेडियल सीमा) में आने वाले सबसे नजदीकी पशु चिकित्सालयों पर तैनात पशु चिकित्साविदों में से ड्यूटी लगायी जायेगी।
5. किसी इकाई में ड्यूटी पर लगाये गये पशुचिकित्साविद की शिकायत प्राप्त होने पर निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जांच करायी जायेगी। यदि जांच में सम्बंधित पशुचिकित्साविद के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही पायी जाती है तो उसके सापेक्ष आरोप पत्र सहित कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के उपरांत ही उक्त इकाई पर किसी अन्य पशु चिकित्साविद की ड्यूटी उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित व्यवस्थानुसार लगायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

औपचारिक जांच में संबंधित पशु चिकित्साविद के दोषी न पाये जाने पर ही निदेशक द्वारा पुनः उसकी ड्यूटी लगायी जायेगी।

6. सम्बंधित पशु चिकित्साविद द्वारा इकाईयों के निरीक्षण एवं प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु ड्यूटी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उसके तैनाती के पशु चिकित्सालय के कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं पशु चिकित्सालय के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से होता रहे।

7. इकाई में ड्यूटी हेतु नाम निर्दिष्ट पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रत्येक माह वध किए गए पशुओं की संख्या, जारी किए गए प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति, जमा कराये गये शुल्क तथा निरीक्षण फीस का विवरण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगें एवं उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में भी सुरक्षित रखेगें। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जनपद में स्थित निर्यातोन्मुखी इण्टीग्रेटेड पशु वधशाला/प्रसंस्करण इकाई द्वारा नियमानुसार शुल्क एवं निरीक्षण फीस कोषागार में जमा की जा रही है तथा वह प्रत्येक माह जनपद की संकलित सूचना निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेगें। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त रिकार्ड को अपने कार्यालय में स्थाई रूप से सुरक्षित रखेगें तथा वह निर्यातोन्मुखी इण्टीग्रेटेड पशुवधशालाओं/ प्रसंस्करण इकाईयों से नियमानुसार देय शुल्क एवं निरीक्षण फीस नियमित रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

8. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम संस्था द्वारा समय-समय निर्गत आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2016/4556(1)/37-1-2015, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महाप्रबंधक, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एन0सी0आई0यू0 बिल्डिंग, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली- 110016
2- निदेशक, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग।
7- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in